Research Paper | Political Science | E-ISSN No : 2454-9916 | Volume : 9 | Issue : 6 | June 2023



भारत : धर्मनिरपेक्षता का एक अनुकरणीय प्रतीक

डॉ नागेन्द्र सिंह भाटी

सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान विभाग, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर।

ABSTRACT

भारत का संविधान विश्व में एक मात्र लिखित संविधान जो अपनी कठोरता व लचिलेपन के लिए **ख्यात** है। इस संवधािन के प्रत्येक शब्द की अपनी है गरिमा है। उन्ही शब्दो मे से एक शब्द है 'धर्म निरपेक्षता' अर्थात सभी धर्मो के प्रति निष्पक्ष होना और यही हमारी पहचान भी है परन्तु वर्तमान समय में इस शब्द की गरिमा को **अद्योति** किया जा रहा है। दकियानुसी मानसिकता के कारण और इसका प्रभाव अल्पसंख्यकवाद और बहुसंख्यकवाद के रूप में देखने को मिल रहा है। इसकी जड़े इतनी गहरी हो गयी है कि एक मुद्दा खत्म करने की कोशिश में दस अन्य मुद्दे उत्पन्न हो जाते है। हमे इन सब से परे होकर धर्मनिरपेक्षता में आधुनिकता की ओर अग्रसर होना चाहिए।

संकेत शब्दः धार्मिक मुद्दे, अल्पसंख्यवाद, बहुसंख्यकवाद।

परिचय :– 'भारत' एक ऐसा देश जिसका नाम सुनते ही इन्द्रधनुष की भांति सात रंगो का मेल आँखे के सामने प्रतित होता हुआ महसूस होने लगता है। इस देश की यह विविधता एक ऐसे धागे में पिरोई हुई है जिसका सूत्रपात संविधान से होता है और उसी संविधान में प्रत्येक व्यक्ति संस्कृति विशेष समूदाय धर्मो इत्यादि की गरिमा को ध्यान में रखकर इन्द्रधनुषो समान सात रंगो के एक धागो में पिरोया है। और सबको यह कर्तव्य दिया गया कि हमे हमारे संवधािन की गरिमा को बनाए रखना है। परन्तु कई बार हम यह सब भूल जाते है और संविधान से परे हो जाते है और संविधान से परे हो जाते है यह सब हमे अधिकार धर्मनिरपेक्षता रूपी मुद्दो में अत्यधिक देखने को मिलता है। हम धार्मिक युद्ध जैसी स्थिति को उत्पन्न कर देते है जिससे ना केवल हम दूसरो के धर्म को संकट में डालते है अपितु खुद भी धर्म संकट में फंस जाते है। प्रस्तुत लेख में ऐसे ही अल्पसंख्यकवाद व बहुसंख्यकवाद जैसे मुद्दो पर प्रकाश डालने का प्रयास किया है।

अध्ययन का उद्देश्य :– प्रस्तुत लेख के माध्यम से धर्मनिरपेक्षता शब्द की वास्तविकता व गरिमा को बनाए रखने पर प्रकाश डाला गया है। वर्तमान व भविष्य में इसकी स्थिति का सुदृड होना महत्वपूर्ण उद्देश्य है जिस के लिए हमे प्रतिदिन प्रयासरत् रहना होगा।

भारत : धर्मनिरपेक्षता का एक अनुकरणीय प्रतीक

भारत सम्पूर्ण विश्व में पूर्ण रूप से धर्मनिरपेक्षत राष्ट्र है क्योकि भारत में प्राचीन काल से ही बहु संस्कृति सभ्यताओं का समावेश है तथा आधुनिक काल आते आते यहाँ विभिन्न धर्मो का भी प्रचार प्रसार व कई समय तक शासन भी स्थापित रहा।

भारत का संविधान इस तथ्य को स्पष्ट रूप से स्पष्ट करता है की भारत में रहने वाले सभी धर्मो के लोग एक समान है तथा सभी धर्म भी समान है चाहे अल्पसंख्यक हो या बहुसंख्यक सभी समान नागरिक संहिता का अधिकार प्राप्त है भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता की स्थिति 42वें संविधान संशोधन के समय और अधिक दृढ़ हो गयी जब धर्मनिरपेक्षता शब्द का उल्लेख भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किया गया। इसका शाब्दिक तात्पर्य यह निकल कर आया कि भारत में रहने वाले विभिन्न धर्म सम्प्रदाय के लोग अब धार्मिक रूप से स्वतंत्र हो गये है वे अपने धर्म का प्रचार प्रसार स्वतंत्र रूप से कर सकते है और राज्य का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं रहेगा। वही दूसरी ओर राज्य विभिन्न धार्मिक समुदायो के अधिकारों का भी संरक्षण करेगा। तथा राज्य सत्ता धर्म के अन्दर फैली कुरीतियों को दूर करने में अपना योगदान देगा अर्थात सरकार चाहे तो धार्मिक सुधार हेतु कानून का निर्माण कर सकती है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 26 में धार्मिक संस्थाये स्थापित करने का अधिकार दिया गया है वही अल्पसंख्यको के धार्मिक मौलिक अधिकारों का भी संरक्षण किया गया है।[1] अनुच्छेद 29 व 30 के अन्तर्गत कुछ शैक्षणिक व सांस्कृतिक अधिकार प्रदान किये गये है। अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता से जुड़े सभी मानव अधिकारों का उल्लेख हमे देखने को मिलता है। इस प्रकार भारतीय धर्मनिरपेक्षता ने अंतः धार्मिक और अंतर धार्मिक वर्चस्व पर एक साथ ध्यान केंद्रित किया है। अनुच्छेद 29, 30 व 350 क से 350 ख में[2] अल्पसंख्यक शब्द पार्श्व शीर्षक में दिया गया है अल्पसंख्यको के लिए कहा गया है ''नागरिको का कोई वर्ग जिसकी विशेष भाषा लिपि या संस्कृति हो'' यह सम्पूर्ण समुदाय हो सकता है। जिन्हे सामान्यताः अल्पसंख्यको के रूप में देखा जाएगा। अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यको को विशिष्ट रूप से दो श्रेणियाँ बताई गयी है। धार्मिक और भाषायी। भारत में राष्ट्रीय स्तर पर धार्मिक अल्पसंख्यको के संबंध में वे सभी धर्म व समुदाय आते है जो हिन्दु धर्म के अलावा अन्य धर्म को मानते है।[3] इस स्पष्टीकरण से स्पष्ट हो गया है की भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता का स्थान अत्यधिक सुदृढ़ है परन्तु जिस कल्पना के साथ इस संविधान का निर्माण किया गया और उसमें बहुधार्मिकवाद का शब्द पंथनिरपेक्षता को जोड़ा गया क्या वास्तव में वर्तमान में इस शब्द की स्थिति वैसी ही या तस्वीर कुछ बदल सी गयी है क्योकि सम्पूर्ण भारतवर्ष में धर्मनिरपेक्षता की वास्तविक स्थिति नाजुक (कमजोर) हो गयी है क्योकि चारो ओर धर्म से संबन्धित भिन्न–भिन्न मुद्दो की ज्वाला जल रही है। एक मुद्दा यदि हम देख तो बहुसंख्यक व अल्पसंख्यको का बहुत ही ज्वलनशील मुद्दा है क्या इस को लेकर एक ही राष्ट्र में दो अलग–अलग कानून का होना भारतीय धर्मनिरपेक्षता के लिए सही है जबकि हम जानते है भारत के संविधान में समान नागरिक संहिता का उल्लेख किया गया है। यह भूल जाते है अलपसंख्यक वाद वास्तव में जड़ में है बहुसंख्यकवाद तो दूसरा लक्षण मात्र है। देश में बठते साम्प्रदायिकता तनाव को देखते हुए भारत जैसे **सेक्यूलर** देश में विभिन्न धार्मिक समुदायों के लिए भिन्न–भिन्न पर्सनल लॉ नही होने चाहिए। क्योकि संविधान के अनुच्छेद 44 में '' राज्यसत्ता समूचे भारत के परिक्षेत्र में नागरिको के लिए समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का उद्यम करेगी। ''सन् 1950 में डॉ भीमराव आम्बेडकर के नेतृत्व में भारत के संविधान निर्माताओं ने ऐसी समान नागरिक संहिता (यूनिफॉर्म सिविल कोड या युसीसी) की चर्चा की थी जो पूरे देश में लागू हो। 1955 में नेहरू सरकार द्वारा हिन्दू मैरिज एक्ट लागू करके इस संवैधानिक निर्देश को हिन्दूओ बौद्धों, जैनो और सिखो के लिए प्रभावी कर दिया था। 1955 के ही हिन्दू सक्सेशन एक्ट में सम्पति की विरासत सम्बधी अधिकारो की बात कही गई थी और यह भी हिन्दूओ बौद्धो, जैनो, सिखो पर लागू होती थी। 1954 में संसद द्वारा एक स्पेशल मैरिज एक्ट अपनाया था यह एक वैकल्पिक सिविल मैरिज कानून था जिसके तहत कोई भी भारतीय नागरिक जिनमें मुस्लिम भी शामिल थे विवाह के लिए पंजीयन करा सकते थे। इस प्रकार के कानूनो से यह तो स्पष्ट हो गया की भारत में रहने वाले सभी नागरिक समान है। परन्तु जब बात मुस्लिम पर्सनल में भारतीय दण्ड संहिता या आईपीसी के अधीन होने से उन्हे कोई गुरेज नही था परन्तु प्रश्न यह उठता है पं. नेहरू ने 1955 में मुस्लिमों की एक वास्तविक सेकुलर और प्रगतिशील पर्सनल लॉ का लाभ उठाने का अवसर क्यो नहीं दिया गया जैसा कि

Copyright© 2023, IERJ. This open-access article is published under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License which permits Share (copy and redistribute the material in any medium or format) and Adapt (remix, transform, and build upon the material) under the Attribution-NonCommercial terms.

अन्यों को दिया गया था।

1950 के दशक में देश की बुनियादी चिंताओं में से एक यह थी की मुस्लिमों को मुख्य धारा का हिस्सा कैसे बनाया जाए। नेहरू का विचार था की यदि मुस्लिम पर्सनल लॉ के साथ छेड़–छाड की गयी तो मुस्लिमों का विश्वास खो देगे जिससे अलगाव व कट्टरता की प्रवृति का विकास हो सकता था। परन्तु विडम्बना ही है कि जिससे नेहरू जी बचना चाह रहे थे आखिरकर बह होकर रही। जब हम अपना झुकाव किसी एक समुदाय के पक्ष में करते है तो दूसरी ओर से प्रतिक्रिया होना स्वभाविक है। शाहबानो केस के बाद से देश में विगत तीन दशकों में जो साम्प्रदायिक तनाव बढ़ा है उसकी जड़ को पहचान पाने में भारतीय विश्लेषक भी सफल नही हुए है। संसद राशि थरूर ने अपने एक लेख में लिख कि ' पहले भारत का सम्मान मुस्लिम जगत में भी होता था लेकिन आज भारत को मुस्लिमों के उत्पीडन और इस्लामोफोबिया के लिए जाना जाता है। दूसरा उदाहरण आर बी आई गवर्नर रद्युनाथ राजन ने भी यह समझने में भूल कर गए कि ' बहुसंख्यकवाद के प्रति बठते झुकाव के बुरे परिणाम होंगे यह आर्थिक सिद्धांतो के भी प्रतिकुल है। हमें बहुसंख्यकवाद का विरोध करना चाहिए ' यहाँ राजन सही है। न्याय समानता और औचित्य के मानदंड़ो पर बहुसंख्यकवाद गलत है। राजन और थरूर दोनो इस बात से चुक गए कि अल्पसंख्यकवाद जड़ में है, बहुसंख्यकवाद तो इसका लक्षण भर है।[4] अगर हम लक्षण को हटाना चाहते है तो पहले इसकी शुरूआत समाना नागरिक संहिता से ली जानी चाहिए।

भारत में जो लोग नेहरू सर्वसम्मति के पैरोकार है उनकी मंशा भले नेक हो लेकिन वे इस बात को नही समझ पाते कि आज मुस्लिमों को सशक्तीकरण की आवश्यकता है ना की तुष्टिकरण की आधुनिकता की आवश्यकता है दीकयानुसी मानसिकता की नही। ब्रिटेन के वारविक विश्वविद्यायलय में कानून के प्राध्यापक उपेद्र बखशी यूसीसी का विरोध करते है उनका मानना है इससे भारत की बहुलता पर संकट आएगा। उनसे पूछा जाना चाहिए कि बहुलता अच्छी है किन्तु आधुनिकता उससे बेहतर नही घ अगर भारत को प्रगतिशील व धर्मनिरपेक्ष देश बनाना है तो उसके लिए प्रगतिशील व सेकुलर कानूनो की आवश्यकता है। क्योकि संविधान में हमे समान नागरिक संहिता का वचन दिया गया था और हमे इस वचन का पालन करना चाहिए।

निष्कर्ष :– प्रस्तुत लेख से प्रतीत होता है कि भारत का संविधान अत्यधिक सुदृढ़ एवं सर्वहितकारी है इसके प्रत्येक शब्द की अपनी गरिमा है और इसको बनाए रखना सम्पूर्ण भारतीय नागरिको का भी कर्तव्य है। धर्मनिरपेक्षता का स्थान भारत के संविधान में स्पष्ट एवं सुदृढ़ किया हुआ है। वर्तमान में धर्मनिरपेक्षता कि स्थिति उतनी सुदृढ़ नहीं है जितना संविधान में उल्लेखित है इसलिए यदि हम सुदृढ़ सेकयूलर भारत की कल्पना करते है तो हमें आधुनिकता की ओर अग्रसर होना होगा। हमें ऐसे कानूनो का निर्माण करना होगा जो देश के प्रत्येक नागरिक के हित में हो एवं उनका पालन संविधान की गरिमा को बनाये रखते हुऐ किया जाए।

संदर्भ

1. भारत का संविधान www.wikipedia.com
2. भारत का संविधान अनुच्छेद 25 से 28 www. wikipedia.com
3. www.drishti.com
4. स्पीक–अप (एक देश में अलग–अलग कानून किस लिए है) मिण्हाज मर्चेट, अभिव्यक्ति दैनिक भास्कर 25.05.2022